उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-05/2023/I/262418/2023-71-2099/784/2021

लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 2023

शुद्धि पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ हेतु गैर वेतन मद के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु पंचम किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-2/2023/I/255690/2022/005-71-2099-784-2021, दिनांक 02.01.2023 निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर प्रदर्शित उक्त शासनादेश में त्रुटिवश तिथि दिनांक 02 जनवरी, 2023 के स्थान पर 02 जनवरी, 2022 टंकित हो गया है।

2- अतः उक्त त्रुटि के निराकरण हेतु उ0प्र0 सरकार के वेबसाइट shasanadesh.up.gov.in पर प्रदर्शित उक्त शासनादेश संख्या-2/2023/I/255690/2022/005-71-2099-784-2021, दिनांक 02.01.2023 की तिथि को दिनांक 02.01.2022 के स्थान पर दिनांक 02.01.2023 पढ़ा एवं समझा जाए।

3- शासनादेश में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

प्रेम शंकर तिवारी,
अनु सचिव।

उपरोक्त संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in